न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: – 2998/2016 प्रार्थना पत्र

GCMS No: – 2016/01086

1. श्रीमती पानीबाई पत्नी ख्यालीलाल जी जाति रावत मीणा आयु 70 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०)
2. श्री बाबुलाल पिता ख्यालीलाल जी जाति रावत मीणा आयु 50 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौडगढ (राज०)
3. श्री गोवर्धनलाल पिता ख्यालीलाल जी जाति रावत मीणा आयु 27 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०)
4. श्रीमती रोडीबाई पुत्री ख्यालीलाल जी जाति रावत मीणा आयु 40 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०) हा०मु० पत्नी गोपाल जी जाति रावत मीणा नि० गादोला तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौडगढ (राज०)
5. श्रीमती डालीबाई पुत्री ख्यालीलाल जी जाति रावत मीणा आयु 40 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०) हा०मु० पत्नी सुरेश जी जाति रावत मीणा नि० विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०)
6. श्रीमती बेनाबाई पुत्री ख्यालीलाल जी जाति रावत मीणा आयु 40 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०) हा०मु० पत्नी नवलसिंह जी रावत मीणा निवासी बडौली घाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ (राज०)
7. श्री बगदीराम पिता नानालाल जी जाति रावत मीणा आयु 60 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़ (राज०)
8. श्री तुलछा पिता मंगना जी जाति जाति रावत मीणा आयु 60 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौडगढ़ (राज०)
9. श्री अमरा पिता मंगना जी जाति जाति रावत मीणा आयु 55 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौडगढ (राज०)
10. श्री राजाराम पिता मंगना जी जाति जाति रावत मीणा आयु 50 वर्ष, निवासी विरिया खेड़ी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०)
11. श्री जगदीश पिता मंगना जी जाति जाति रावत मीणा आयु 45 वर्ष, निवासी विरिया खेड़ी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़ (राज०)
12. श्रीमती बेना पुत्री मंगना जी जाति जाति रावत मीणा आयु 48 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौडगढ (राज०) हा०मु० पत्नी जिला–चित्तौड़गढ (राज०) कासौद तहसील निम्बाहेडा
13. श्रीमती कंकुबाई धर्म पत्नी स्व मंगना जी जाति रावत मीणा आयु 80 वर्ष, निवासी विरिया खेडी तहसील [illegible] (राज०)
14. श्री गौरीलाल पिता गांमा उर्फ गंगाराम [illegible] जाति रावत मीणा आयु 60 वर्ष, निवासी विरिया खेडी [illegible] (राज०)
15. श्रीमती धापुबाई पत्नी अमरदान जी जाति [illegible] आयु 70 वर्ष, निवासी [illegible] चारण तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ (राज०)
16. श्री उप पंजीयक महोदय पंजीयन कार्यालय निम्बाहेडा (राज०)
17. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील निम्बाहेडा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:03 IST
Reason: SelfAttested

1–6

Scanned by CamScanner

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता प्रार्थीया
2– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8

:: निर्णय :: दिनांक :– 01.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि मौजा रणछौड़पुरा पटवार हल्का मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 215 रकबा 1.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 226 रकबा 1.20 हैक्टेयर स्थित है।

2. नौला जी के स्वर्गवास होने से बाद नौला जी के चारो पुत्र नाना,मंगना,ख्याली, व गागा हुए तथा चारो भाई अपने हिस्से पर काबिज हुए । 1/4 हिस्सा नाना का. 1/4 हक हिस्सा मंगना का 1/4 हक हिस्सा ख्याली का व 1/4 हक हिस्सा गांगा का हुआ और चारो ही भाई अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर अपने–अपने हक हिस्से की आराजीयात का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।अभी दिनांक–30/05/2016 को प्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा मेंविपक्षीगण ने अपनी आराजीयात की सीमा बता कर विवाद उत्पन्न किया व प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की नकल की आवश्यकता हुई व प्रार्थीगण ने अपने खाते की नकल राजस्व अधिकारीयो से नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई कि जो आराजीयात वर्तमान में दर्ज है वह हक हिस्से अनुसार दर्ज नहीं होकर गलत हक हिस्से अनुसार दर्ज है व उसी अनुसार जो हक हिस्सा विपक्षीया सख्या–08 के नाम जो आराजीयात हस्तान्तरित की गई व दर्ज की गई है वह भी गलत हक हिस्से से दर्ज की गई है जबकि उक्त आराजीयात में ख्याली के स्वर्गवास होने के बाद ख्याली का 1/4 हक हिस्सा जो प्रार्थीगण 01 ता 06 के कब्जे एवं आधिपत्य में चला आ रहा है व प्रार्थीगण ही अपने 1/4 हक हिस्से का उपयोग–उपभोग कर रहे है व इसी प्रकार नाना जी का स्वर्गवास हो गया है और नाना जी के स्वर्गवास होने के बाद नाना जी के 1/4 हक हिस्सा प्रार्थी सख्या–07 बगदीराम उपयोग–उपभोग कर रहा है नाना जी की पत्नी का स्वर्गवास नाना जी से पूर्व ही हो चुका था। इसी प्रकार मंगना जी के स्वर्गवास होने के बाद मंगना जी के 1/4 हक हिस्से के हकदार विपक्षीगण 01 ता 06 संयुक्त रूप से व गांगा उर्फ गंगाराम के स्वर्गवास होने के बाद उनके 1/4 हक हिस्से का उपयोग उपभोग गांगा उर्फ गंगाराम की पत्नी व उनका पुत्र गौरीलाल करता चला आ रहा था व गांगा जी की पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद उनके 1/4 हक हिस्से का उपयोग उपभोग विपक्षी सख्या–07 करता चला आ रहा था तथा विपक्षीगण 01 ता 07 को इसी अनुसार अपना हक हिस्सा उपयोग–उपभोग करने का व उसे हस्तान्तरित करने का अधिकार निहित यह कि प्रार्थीगण ने दिनांक 30/05/2016 को अपनी खातेदारी की आराजीयात की नकल प्राप्त ... जब अपने हक हिस्से की आराजीयात की कम रिकॉर्ड ... राजस्व रिकार्ड से नकले प्राप्त की व राजस्व रिकार्ड से नकलें ... –07/08/2016 को प्राप्त हुई व नकले प्राप्त होते ही प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उनके हक हिस्से अनुसार पुनः प्रार्थीगण के 1/4–1/4 हक हिस्से की आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विधिवत् रूप से अंकन कराने हेतु कहा तो पहले तो टाल–चाल करने लगें व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दिनांक–10/06/2016 को प्रार्थीगण को इन्कार हो गये और रूबरू गवाहान् प्रार्थीगण को विपक्षीगण 01 ता 08 ने मात्र खातेदारी में हक हिस्से से आराजीयात से अधिक आराजीयात राजस्व रिकार्ड में टेक्नीकल की गलती व लिपिकीय भूल के कारण दर्ज हो गई व अधिक आराजीयात विपक्षीगण के नाम दर्ज होने के कारण अब विपक्षीगण 01 ता 08 उक्त आराजीयात को अपने हक हिस्से से अधिक आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति जरिये रहन, बय, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने की धमकी दे रहे है जिससे विपक्षीगण को निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने का अधिकारी है।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र की कलम सख्या 02 के परिशिष्ठ क में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित होने से व मौके पर प्रार्थीगणाका कब्जा हक हिस्से अनुसार होने से विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला मुकदमा जारी कर पांबद फरमाया जावें कि मुल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड में विपक्षीगण किसी प्रकार से कोई परिवर्तन न तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें क्योकि परिशिष्ठ क में अंकित आराजीयात में जो हक हिस्सा निहित है उससे अधिक आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और विपक्षीगण जरिये रहन, बय, बक्षीस एवं या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित अपने हक हिस्से से अधिक नहीं करें ना करावें एवं प्रार्थीगण के 1/4–1/4 हक हिस्से की आराजीयात में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी न तो स्वंय करें ना किसी अन्य से करावें तथा ता मुकदमा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। ताईद में शपथ–पत्र साथ पेश है।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,9,10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से विपक्षी क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,9,10 के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये। विपक्षी क्रमांक 8 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं0 1 का उत्तर यह है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी नं0 1 से 6 के पिता व पति ख्यालीलाल व प्रार्थी नं0 7 नाना का वादग्रस्त आराजीयात में संयुक्त 1/3 हकहिस्सा है, तथा उक्त आराजीयात में विपक्षी नं० 1 तुलछा पिता मगना का 1/15 हक हिस्सा था उक्त 1/15 हक हिस्सा विपक्षी नं० 1 द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29/01/2016 को विकय कर विपक्षी नं० 8 को कब्जा सुपुर्द किया, तथा विपक्षी नं0 7 गोरीलाल द्वारा उक्त आराजीयात में अपना दर्ज 1/3 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25/05/2015 से विकय कर कब्जा विपक्षी नं0 8 को सुपुर्द किया तथा उक्त आराजीयात में खेमराज पिता रामलाल जी रावत का दर्ज सम्पूर्ण 4/15 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 13/04/2009 से विकय कर कब्जा विपक्षी नं० 8 को सुपुर्द किया तभी से उक्त सम्पूर्ण 2/3 हक हिस्सा विपक्षी नं० 8 [illegible] में चली आ रही हैं। इस प्रकार उक्त चरण में वर्णित 1/4–1/4 हक [illegible] अस्वीकार हैं। प्रार्थी नं० 1 से 6 का संयुक्त 1/6 हक [illegible] हिस्सा हैं। यानि प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा है और [illegible] कब्जा चला आ रहा है शेष कथन गलत होने से स्वीकार नही हैं। विपक्षीगण द्वारा [illegible] क्षी नं० 8 को आपने हक हिस्से व कब्जे में दर्ज संयुक्त 2/3 हक हिस्सा फरदन फरदन कर विपक्षी नं० 8 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया हैं ओर वादग्रस्त भूमि साथ रहकर विपक्षी नं० 8 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खातेदारी में दर्ज कराई हैं तथा उक्त आराजीयात का बटवारे का वाद प्रार्थीया द्वारा उक्त वाद के प्रार्थीगण याने विपक्षीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में एकवाद धारा 53, 188 राज०का० अधि० के तहत पेश किया था जिसके प्रकरण संख्या 121/16 ई०रे० थे जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स करने का दिनांक 12/07/2016 को आदेश दिया गया था और उक्त आदेश की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा फर्द बटवारा प्रार्थी व विपक्षीगण का मौके पर काबिज अनुसार मंगाये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा फर्द बटवारा मंगवाकर अंतिम डिकी प्रदान की गई थी और उक्त डिकी की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी नं0 215 रकबा 1.0100हे. भूमि व व 226 मे से नये आराजी नं0 402/226 रकबा 0.1900हे. भूमि विपक्षी नं० 8 के हिस्से व कब्जे की होने से अलग खातेदारी मे दर्ज हुई है इस प्रकार उक्त आराजीयात का बटवारा पूर्व मे हो चुका है इसलिए दौबारा बटवारा कराये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी नं0 1 ता 6 का कोई 1/4 हक हिस्सा व प्रार्थी नं0 7 का कोई 1/4 हक हिस्सा नही है उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का संयुक्त 13 हक हिस्सा है जो बटवारे से अलग हो चुका हैं, इसलिए उक्त चरण में वर्णित सभी तथ्य गलत है स्वीकार नही हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई 1/4–1/4 हक हिस्सा नही हैं। वादग्रस्त आराजीयात का माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद से पूर्व ही प्रकरण संख्या 121/16 ई०२० बउनवान धापुबाई बनाम बगदीराम वगेरा निर्णय दिनांक 12/07/2016 से वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स विपक्षी नं० 8 व प्रार्थीगण के मध्य मौके पर काबिज अनुसार एवं यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं0 1 का उत्तर यह है कि उक्त चरण में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में झुठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो आगे चलकर निश्चित रुप से खारीज होगा ऐसी पूरी संभावना हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी नं0 1 से 6 के पिता व पति ख्यालीलाल व प्रार्थी नं0 7 नाना का वादग्रस्त आराजीयात में संयुक्त 1/3 हकहिस्सा है, तथा उक्त आराजीयात में विपक्षी नं० 1 तुलछा पिता मगना का 1/15 हक हिस्सा था उक्त 1/15 हक हिस्सा विपक्षी नं० 1 द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29/01/2016 को विकय कर विपक्षी नं० 8 को कब्जा सुपुर्द किया, तथा विपक्षी नं0 7 गोरीलाल द्वारा उक्त आराजीयात में अपना दर्ज 1/3 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25/05/2015 से विकय कर कब्जा विपक्षी नं0 8 को सुपुर्द किया तथा उक्त आराजीयात में खेमराज पिता रामलाल जी रावत का दर्ज सम्पूर्ण 4/15 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 13/04/2009 से विकय कर कब्जा विपक्षी नं० 8 को सुपुर्द किया तभी से उक्त सम्पूर्ण 2/3 हक हिस्सा विपक्षी नं० 8 की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। इस प्रकार उक्त चरण में वर्णित 1/4–1/4 हक हिस्सा होना अस्वीकार हैं। प्रार्थी नं० 1 से 6 का संयुक्त 1/6 हक हिस्सा व प्रार्थी नं0 7 का 1/6 हक हिस्सा हैं। यानि प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा है और उसी पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है शेष कथन गलत होने से स्वीकार नही हैं। दिनांक 30/05/2016 को सीमा विवाद होना अस्वीकार है सारे तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को शुरु से चली आ रही हैं। विपक्षीगण द्वा[illegible] नं० 8 को आपने हक हिस्से व कब्जे में दर्ज संयुक्त 2/3 [illegible] विपक्षी नं० 8 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया है और [illegible] खुलवाकर विपक्षी नं० 8 के

खातेदारी में दर्ज कराई हैं तथा उक्त आराजीयात का बटवारे का वाद प्रार्थीया द्वारा उक्त वाद के प्रार्थीगण याने विपक्षीगण के विरुद्ध मान[illegible] न्यायालय में एकवाद धारा 53, 188 राज०का० अधि० के तहत पेश किया था जिसके प्रकरण संख्या 121/16 ई०रे० थे जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा बाय मिट्स एंड

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बाउण्ड्स करने का दिनांक 12/07/2016 को आदेश दिया गया था और उक्त आदेश की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा फर्द बटवारा प्रार्थी व विपक्षीगण का मौके पर काबिज अनुसार मंगाये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा फर्द बटवारा मंगवाकर अंतिम डिकी प्रदान की गई थी और उक्त डिकी की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी नं0 215 रकबा 1.0100हे. भूमि व व 226 मे से नये आराजी नं0 402/226 रकबा 0.1900हे. भूमि विपक्षी नं० 8 के हिस्से व कब्जे की होने से अलग खातेदारी मे दर्ज हुई है इस प्रकार उक्त आराजीयात का बटवारा पूर्व मे हो चुका है इसलिए दौबारा बटवारा कराये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी नं0 1 ता 6 का कोई 1/4 हक हिस्सा व प्रार्थी नं0 7 का कोई 1/4 हक हिस्सा नही है उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का संयुक्त 13 हक हिस्सा है जो बटवारे से अलग हो चुका हैं, इसलिए उक्त चरण में वर्णित सभी तथ्य गलत है स्वीकार नही हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई 1/4–1/4 हक हिस्सा नही हैं। वादग्रस्त आराजीयात का माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद से पूर्व ही प्रकरण संख्या 121/16 ई०२० बउनवान धापुबाई बनाम बगदीराम वगेरा निर्णय दिनांक 12/07/2016 से वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स विपक्षी नं० 8 व प्रार्थीगण के मध्य मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बटवारा कर दिया है और उक्त आराजियात माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री से अलग अलग खातेदारी में दर्ज चली आ ही है। इसलिए दिनांक 10.06.2016 को इनकार करने का तथ्य झुठा लिखा है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है सुविधा का सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष में है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सुरत में अपूर्णिय क्षति विपक्षी नम्बर 8 को होगी। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्व्यय निरस्त करने की कृपा करावे।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तेनी पेतृक आराजियात है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार है और और प्रार्थीगण का अपने पिता की जमीन में पुश्तेनी हक हिस्सा निहित है यदि विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजियात को उनके हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:03 IST
Reason: SelfAttested

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>–किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। विपक्षी प्रार्थीगण के पिता की जमीन को उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल करने पर आमदा है जबकि प्रार्थीगण का पुश्तेनी हक हिस्सा निहित

Scanned by CamScanner

है यदि विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजियात को उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूरणीय क्षति होना सावित होता है।

III. **सुविधा का संतुलन** :–किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की पुश्तेनी पेतृक खातेदारी भूमि हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मौजा रणछौड़पुरा पटवार हल्का मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 215 रकबा 1.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 226 रकबा 1.20 हैक्टेयर कृषि भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:40:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner